

प्रभु, एच/डी/118 विशेष सचिव 30प्र0 शासना

सेवा में, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ

संख्या : दिनांक 19 अगस्त, 2015

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद अमरोहा की 03 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 16/3/33/10/ह/वि/वि/अमरोहा/2012-13, दिनांक 23 जुलाई, 2015 के संदर्भ में भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 37 के अन्तर्गत जनपद अमरोहा की न/पा/0परि/0 अमरोहा की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 03 परियोजनाओं हेतु ₹ 84.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के माध्यम प्रथम विवरत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्लम-6 में अंकित धनराशि ₹ 42.19 लाख (रुपये ब्यालीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की की राज्यपाल माहोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के माध्यम में जारी दिशा निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13 14(31)/2012पी.टी. दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के अन्तर्गत 12 के पारर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तीयोजना के प्रतिबन्धों के अनुसार अनुक्रमानुसार निहित मद् में उपाय ली जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विविधियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करने हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपरोक्त धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

परियोजनाओं की विवरण...

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूज (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। साक्षी (निर्माण इकाई) द्वारा प्रस्तावित परियोजना को जिला स्तरीय शही निष्काय से अनुमोदित कराने का ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दस में जो भी आवेक/मद जायेगा। किसी प्रकार का ब्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय विवरण के किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगा। साक्षी/मद/मद/मद आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की भागों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने को पूर्ण सुनिश्चित संस्था/सम्बन्धित डूज का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासनादेशों शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूज इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। साक्षी सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सौत से धनराशि/वित्त की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासनादेश दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शास सुचित किया जायेगा।
10. प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दोहरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3040, लखनऊ द्वारा साक्षी सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय योजना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिष्ठित/सचिव/सचिव किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उ की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक को सूचना एक वर्ष का उ अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपरोक्त प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई तो एकमुस्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सैन्टेज चार्ज (अधिष्ठात व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-य 2 233 2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुरंगत लेखा शीर्ष में उ किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2. उपरोक्त व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 37 में योजनागतगत प्रस्तावित राजस्व में व्यय/घटताओं से लेखासौंपक "2217-शहरी विकास आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अन्यसंख्यक बाहुन्य बस्तियों में सी0सी0 रोडइण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-सूजीगत परिसन्वातिथी के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जावेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय शाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - संशोक्त।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-760 /2015/1853(1Y69-1-15, तदिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नाथरू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छुटवा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम-विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, अमरोहा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त निबंधक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 765 /2015/1853(1)/69 1 15 53(आ0सं0 37/2015, दिनांक 19 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

(एकतासी लाख रुपौं में)					
क्र० सं०	जनपद का नाम	लिकाश/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम विस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	अमरोहा	ज०प०परि० अमरोहा	वार्ड सं०-01 के मोहल्ला-छेवडा (परवेज नगर) में बाईपास मुख्य रोड से सूकखे के मकान तक, भोलू के घर से छोटे के घर तक, मोश के घर से मंगल सिंह के घर तक, पद्म के घर से मलखान के घर तक व अबरार के घर से अनवर के घर तक इण्टरलाकिंग व दोनों ओर एल टाइप नाली का निर्माण कार्य।	33.81	16.305
2.	तटैव	तटैव	वार्ड सं०-01 के मोहल्ला-छेवडा (परवेज नगर) में सैनाज के मकान से फिरोज के मकान तक, गेरासुंदीन के मकान से सैनाज के मकान तक, राधेश्याम के सामने, अखतर के सामने, राजा के प्लाट से मद्रासे तक, अब्दुल अजीज के मकान से असलम के मकान तक व मदरसा से कमरुद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग व दोनों ओर एल टाइप नाली का निर्माण कार्य।	19.92	9.96
3.	तटैव	तटैव	वार्ड सं०-15 के मो० महबूब नगर में शिराज के मकान से सुहेल के मकान तक, दाउ सराय रोड से जफर के मकान तक, मेन रोड से आलम के मकान तक, मुस्तकीम के प्लाट से धनौरा रोड तक, श्री हेमराज के मकान से अन्सार अहमद के मकान तक, मेन रोड से हाकम अली के मकान तक व कमरु के मकान से मो० हनीफ के मकान तक इण्टरलाकिंग व दोनों ओर एल टाइप नाली का निर्माण कार्य।	30.85	15.425
	योग			84.38	42.19

(रूपये बयालिस लाख उन्नीस हजार मात्र)।


(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।